हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 428/2019 अनवान बीरोदेवी वगैरा बनाम अमरा वगैराह**	नम्बर व ता अहकाम जो हुकम की त मे जारी हुए

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय नांद पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 10.11.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय नांद, राजीव गांधी सेवा केन्द्र नांद पर पेश हो।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

10.11.2021

यह पत्रावली आज बमुकाम नांद, राजीव गांधी सेवा केन्द्र नांद पर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थितं अप्रार्थीगण अनुउपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा 1 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी संख्या 01 व 2 के खसरा नंबर 289/150 रकबा 60 बीघा, प्रार्थी संख्या 3 से 6 के खेत खसरा नंबर 290/150 रकबा 49.06 बीघा, प्रार्थी संख्या 7 के खेत खसरा नंबर 291/150 रकबा 50.00 बीघा, प्रार्थी संख्या 8 के खेत खसरा संख्या 293/151 रकबा 73.06 बीघा, प्रार्थी संख्या 9 के खेत खसरा नंबर 292/150 रकबा 50.00 बीघा ग्राम जाणियावास पटवार मण्डल नांद में सुखाचार हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 के खेत खसरा नं. 275/143 में से नया रास्ता खोलने एवं राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया। आवेदन पंजीयन कर उत्तरदातागण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार बाड़मेर से मौका प्रतिवेदन तलब किया गया।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट शामिल मिशल पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 01 व 2 के खसरा नंबर 289/150 रकबा 60 बीघा, प्रार्थी संख्या 3 से 6 के खेत खसरा नंबर 290/150 रकबा 49.06 बीघा, प्रार्थी संख्या 7 के खेत खसरा नंबर 291/150 रकबा 50.00 बीघा, प्रार्थी संख्या 8 के खेत खसरा संख्या 293/151 रकबा 73.06 बीघा, प्रार्थी संख्या 9 के खेत खसरा नंबर 292/150 रकबा 50.00 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थीगण के खेत से अन्य सुविधाएं प्राप्त करने हेतु आने–जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के खेत तक जाने के लिए निम्न प्रकार से खसरान् का रकबा बीच मे पड़ता है:–

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रस्तावित रास्ता		डी.एल. सी. दर प्रति बीघा	डी.एल. सी. दर से दुगुणी राशी
				लम्बाई x चौडाई (गट्ठो में)	प्रस्तावित रास्ता रकबा		
1	अमरा पुत्र देदा कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन RMGB विशाला	275/143	15.04	4 गटठा	0.04 बीघा	65367	13074

उक्त खसरान् के खेत की कुल 0.04 बीघा भूमि संलग्न नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्ग की आवश्यकता है। उक्त मार्ग हेतु आवश्यक मुआवजा राशि प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा मजमे आम में रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि ग्राम जाणियावास तहसील बाडमेर में प्रार्थी संख्या 01 व 2 के खसरा नंबर 289/150 रकबा 60 बीघा, प्रार्थी संख्या 3 से 6 के खेत खसरा नंबर 290/150 रकबा 49.06 बीघा, प्रार्थी संख्या 7 के खेत खसरा नंबर 291/150 रकबा 50.00 बीघा, प्रार्थी संख्या 8 के खेत खसरा संख्या 293/151 रकबा 73.06 बीघा, प्रार्थी

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

संख्या 9 के खेत खसरा नंबर 292/150 रकबा 50.00 बीघा मे पहुँचने हेतु मौजा देवासर के खसरा नंबर 275/143 रकबा 15.04 बीघा, रास्ते हेतु उपयोग रकबा 0.04 बीघा भूमि की बाजार दर प्रति बीघा 65367/- का 02 गुणा राशि 13074/- उक्त खसरों में से गुजरना पडेगा। प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई 4 गट्ठा रखी गयी है, जो आपस में जुड़ने वाले खसरों की सीमा पर प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा उक्त खेत में पहुचने का काई मार्ग नही है।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी के खेत में आने-जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग इस खेत में जाने के लिए नही है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थीगण को आने-जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण द्वारा की गई रास्ते की मांग उचित प्रतीत होती है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। ग्राम जाणियांवास तहसील बाडमेर के प्रार्थी संख्या 01 व 2 के खसरा नंबर 289/150 रकबा 60 बीघा, प्रार्थी संख्या 3 से 6 के खेत खसरा नंबर 290/150 रकबा 49.06 बीघा, प्रार्थी संख्या 7 के खेत खसरा नंबर 291/150 रकबा 50.00 बीघा, प्रार्थी संख्या 8 के खेत खसरा संख्या 293/151 रकबा 73.06 बीघा, प्रार्थी संख्या 9 के खेत खसरा नंबर 292/150 रकबा 50.00 बीघा मे पहुँचने हेतु मौजा देवासर के खसरा नंबर 275/143 रकबा 15.04 बीघा, रास्ते हेतु उपयोग रकबा 0.04 बीघा भूमि की बाजार दर प्रति बीघा 65367/- का 02 गुणा राशि 13074/- मार्ग का कुल क्षैत्रफल 0.04 बीघा है, जो संलग्न नक्शा में बरंग "गुलाबी" दर्शाया है। उक्त भूमि की डीएलसी दर की दूगुनी राशि प्रार्थी राजकोष में जमा करावे। तहसीलदार बाडमेर उक्त राशि जमा करवाने पर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थी अमरा पुत्र देदा कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन RMGB विशाला तहसील व जिला बाडमेर को भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर